राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोपी मीणा बनाम प्रेमनारायण

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	163/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 1 के ससुर, वादी सं 2 लगायत 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा एवं प्रतिवादी सं 3 व 4 के पिता स्व. भगवान सहाय मीणा पुत्र दूला मीणा की खातेदारी स्वामित्व की आराजी ग्राम मीनावाला पटवार हल्का मीनावाला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी सीतारामपुरा तहसील व जिला जयपुर में खसरा नंम्बर 218,226,228, 232, 331, 377, 382, स्थित है, इसके अलावा ग्राम कनकपुरा पटवार हल्का मीनावाला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी सीतारामपुरी तहसील के जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 180 स्थित हैं | जिसकी खातेदारी वादी संख्या 1 के पति व चाची से 2 लगायत 4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जगदीश नारायण एवं प्रतिवादी सं 3 व 4 के नाम से रेवेन्य रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1/3-1/3 हिस्सा हैं तथा वादीगण की ओर से वाद पत्र में भगवान सहाय मीणा का 1 व 2 का सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का प्रत्येक का सजरा खानदान भी प्रस्तुत किया है। भगवान सहाय मीणा का निधन वर्ष 2006 में हो गया एवं इसकी पत्नी भागोती देवी का निधन वर्ष 2019 मे हो गया, भगवान सहाय के तीन पुत्र है जिनमें सबसे बडे पुत्र जगदीश नारायण मीणा का देहान्त 14.05.2007 को हो गया। जगदीशनारायण मीणा वादी सं 1 के पति व वादी संख्या 2 लगायत 4 व प्रतिवादी सं 1 उत्तराधिकारी एवं वारिसान है. जिससे भगवान सहाय मीणा की उपरोक्त खातेदारी भूमि व 2 के पिता थे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 जगदीश नारायण मीणा के विधिक वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ता 4 सयुक्त रूप से खातेदार कृषक हुये है एवं सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है तथा वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 ने सयुक्त रूप से मिलकर खसरा नम्बर 331 को आवासीय रूपान्तरण करवाकर अनेक व्यक्तियों को सयुक्त रूप से विक्रय कर दी एवं जे.डी.ए. के पटटे भी जारी हो चुके है. जिसका कोई विवाद पक्षकारो के मध्य नहीं है तथा जिन खसरो का विवाद है वह खसरा नम्बर 218. 226, 228, 232, 377, 382 का है। जिनका पक्षकारो के मध्य बाई मीटस राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**गोपी मीणा बनाम प्रेमनारायण** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं 1 ता 4 प्रतिवादी संख्या 6 से मिलीभगत कर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि आबादी / व्यवसायिक प्लॉटिंग कर उक्त भूमि के मूल्यावन हिस्से को अन्तरित करने पर उतारू है तथा बैकडेट में झूठी स्कीम बताकर पटटे जारी करने पर उतारू है एवं मौके पर बाउण्ड्रीवाल मकानात का निर्माण कर रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बाहुबली व्यक्तियों से मिलकर स्वर्णजाति के लोगो से मूल्यवान धन की एवज में विक्रय कर स्थापित विधि का नाजायज फायदा उठाकर वादी संख्या 1 व 2 को डरा धमका कर ताकत के बल पर दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाकर सोसायटी के पटटे एवं जेडीए के पटटे लेने पर उदारतिलिपि है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिससे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जन जाति की कृषि भूमि होने के कारण किसी भी सोसायटी कम्पनी या फर्म को अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति केज अतिरिक्त अन्य किसी को विक्रय नहीं की जा सकती है। वादीगण अधिकारी है कि उक्त भूमि में अपने पिता व दादा के नाम की भूमि में उनके वारिसान होने से स्वयं को 1/18-1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवा देवे एवं तदनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा करवा लेवे एवं अपना खाता अलग कायम करवा प्रकार का अनुतोष चाहते हुये वाद प्रस्तुत किया गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 9, 16 व 21 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी व धारा 207 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2023 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद अस्वीकार कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोका किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होता है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा विचाराधीन घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर वाद को ख़ारिज किया गया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक बिन्दुओ के सम्बन्ध में तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन करते हुये वाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विस्तृत रूप से अंकित करते हुये सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद को ख़ारिज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तुत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित कर वाद का निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर